न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

आर0एम0ए0वाद सं0—08/2013—14

सुकुरमुनी मुर्मू
बनाम
चाभी मुर्मू वगैरह

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
03.10.2018	**आदेश** यह अपील वाद विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा दिनांक 23.03.2012 को पी0ए0 वाद सं0—19/2003—04 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद प्रधानी नियुक्ति के विरूद्ध है। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि पाकुड़ जिला के अमड़ापाड़ा अंचलान्तर्गत मौजा—कुण्डामाटिया के रिक्त प्रधान पद पर कमल मराण्डी, पिता—स्व0 रगदा मराण्डी को विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा वंश परम्परागत के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 6 के तहत प्रधान नियुक्त किये थे। उक्त आदेश के विरूद्ध छामी मुर्मू, पिता—स्व0 बंके मुर्मू के द्वारा 16 आना रैयत के तरफ से उपायुक्त, पाकुड़ के न्यायालय में अपील दायर किया गया था, जिसका अपील वाद सं0—09/2004—05 है। उपायुक्त महोदय के द्वारा सुनवाई के पश्चात् वाद को धारा 5 के तहत प्रधान की नियुक्ति हेतु अनुमंडल पदाधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा पुनः प्रधान की नियुक्ति अभिलेख की कार्रवाई के दौरान कमल मराण्डी की मृत्यु दिनांक 15.03.2011 को हो गई। उनके मृत्यु के बाद उनका पत्नी सुकरमुनी मुर्मू अपने पति के स्थान पर प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु वकालतनामा के साथ दिनांक 12.10.2011 को अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय में आवेदन दाखिल कर चुकी थी। विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा अंचल अधिकारी, अमड़ापाड़ा से जमाबन्दी रैयतों की सूची की मांग करते हुए अभिलेख दिनांक 10.01.2012 को शिविर न्यायालय अमड़ापाड़ा निर्धारित किये थे। उक्त तिथि को शिविर न्यायालय में दोनों पक्ष की ओर से 16 आना रैयतों का सहमति प्राप्त	

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

किया गया। जिसमें आवेदिका सुकुरमुनी मराण्डी को 30 (तीस) एवं छमी मुर्मू को 53 (तिरपन) रैयतों का सहमति प्राप्त हुआ।

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मतदाता के अनुसार 83 (तेरासी) रैयतों का उपस्थिति निम्न न्यायालय के आदेश में दर्शाया गया है, जबकि जमाबन्दी सूची के अनुसार उक्त मौजा का कुल लगभग 120 रैयत है। उक्त जमाबन्दी सूची के तहत भी आवेदिका छमी मुर्मू का मतदाता 1/3 (एक तिहाई) पूरा नहीं हो पाया। उसके बावजूद भी विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा दिनांक 23.03.2013 को चाभी मुर्मू पिता ठाकुर मुर्मू पिता ठाकुर मुर्मू को ग्राम प्रधान नियुक्त कर चुके है। जबकि चाभी मुर्मू, पिता ठाकुर मुर्मू विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के अभिलेख में आवेदक नहीं है और न ही उपायुक्त, पाकुड़ के न्यायालय के आर0एम0ए0 वाद सं0–09/2004–05 के अपील आवेदन में उनका नाम उल्लेखित है।

इनका यह भी कहना है कि नियुक्त प्रधान चाभी मुर्मू का नाम न ही उक्त मौजा के जमाबन्दी सूची में है और न ही बी0पी0एल0 कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड में ही है। चाभी मुर्मू उक्त गांव के रैयत ही नहीं है। अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ का आदेश दिनांक 23.03.2012 के आलोक में कबुलियत एवं प्रतिभूति दाखिल नहीं किया गया। क्योंकि चाभी मुर्मू, पिता–ठाकुर मुर्मू कहकर कोई भी व्यक्ति या रैयत मौजा कुण्डामटिया में नहीं है। आजतक उपरोक्त मौजा खास है। प्रधानी पद का न ही कोई प्रधान है और न ही प्रधानी पद का कोई कार्य या कर्त्तव्य ही पूरा हो पा रहा है। जिसके लिये 16 आना रैयतों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अपीलकर्त्ता सुकुरमुनी मुर्मू अपने पति के मृत्यु के बाद प्रधान का सारा कर्त्तव्य एवं कार्यभार अस्थायी रूप से संभालते आ रहे है। 16 आना रैयत अपीलकर्त्ता को प्रधान पद पर नियुक्त करना चाहते है।

इनका यह भी कहना है कि शिविर न्यायालय में लिये गये मतदान में मतदाताओं में काफी रैयतों का नाम मौजा–कुण्डामटिया के जमाबन्दी सूची में नहीं है। बाहर के व्यक्ति से मतदान लिया गया था। इनके द्वारा निम्न

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	न्यायालय के आदेश को नियम विरूद्ध बताते हुए उचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है। उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि फिलहाल उत्तरवादी का आधार कार्ड बना है। अपीलकर्त्ता के द्वारा लगाया गया आरोप बिल्कुल निराधार है। उनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को सही करार देते हुए अपील आवेदन को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। उभय पक्षों के विद् अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि विद् अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा **P.A. Case No.-19/2003-04** में दिनांक–23.03.2012 को पारित आदेश से जिस चाभी मुर्मू की नियुक्ति मौजा–कुण्डामटिया, अंचल–अमड़ापाड़ा के प्रधान पद पर किया गया था, उनके द्वारा न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद अभी तक कबुलियत एवं प्रतिभूति की राशि जमा कर प्रधानी पट्टा प्राप्त नहीं किया गया है बल्कि इसके विपरीत अंचल अधिकारी, अमड़ापाड़ा के पत्रांक–316/रा0, दिनांक–10.08.2011 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलकर्त्ती सुकुरमुनी मुर्मू द्वारा प्रधान के सारे कर्तव्य एवं कार्यभार को स्थायी से संभाल रही है तथा इनकी बहाली पर ग्राम के सोलह आना रैयतों की आम सहमति है। अंचल अधिकारी, अमड़ापाड़ा से प्राप्त प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया है कि मौजा–कुण्डामटिया में पूर्व बहाल प्रधान के रूप में रजिस्टर II में कमल मरांडी का नाम दर्ज है। कमल मरांडी की मृत्यु हो चुकी है एवं अपीलकर्ती सुकुरमुनी मुर्मू उनकी पत्नी है। अंचल अधिकारी, अमड़ापाड़ा के पत्रांक–458/रा0, दिनांक–10.01.2011 से प्रात मौजा–कुण्डामटिया के जमाबंदी रैयतों की सूची में निम्न न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रधान चाभी मुर्मू का नाम अंकित नहीं है। उनके विद् अधिवक्ता द्वारा न्यायालय को सुनवाई के दौरान 27.12.2017 को अवगत कराया गया है कि फिलहाल उनका आधार कार्ड बना है। यह बिल्कुल समझ	

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

से परे है कि जो व्यक्ति प्रश्नगत मौजे का रैयत न हो तथा जिसका नाम अंचल अधिकारी, अमड़ापाड़ा द्वारा प्रेषित जमाबंदी रैयती की सूची में न हो तथा जिन्होंनें प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिये कोई ओवदन भी दाखिल नहीं किया हो, उसे मतदान प्रक्रिया में उम्मीद्वार बनाकर बहुमत के आधार पर बिना सत्यापन के प्रधान नियुक्त कर दिया गया हो जिन्होनें नियुक्ति की तिथि 22.03.2012 के बाद से आज तक न ही कबुलियत और न ही प्रतिभूति की राशि जमा कर प्रधानी पट्टा प्राप्त किया हो।

अतः उक्त विवेचन से निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक–22.03.2012 को पारित आदेश को दोषपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण पाते हुए खारिज करते हुए इस वाद को पुनः अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ को इस निदेश के साथ Remand किया जाता है कि वे मौजा–कुण्डामटिया के प्रधान पद पर नियुक्ति पहले वंशानुगत आधार पर अन्तिम नियुक्त प्रधान के सुयोग्य वंशज जो जमाबंदी रैयतों के द्वारा सामान्यतया स्वीकार्य हों को प्रधान पद पर नियुक्त करें। वंशानुगत आधार पर कोई सुयोग्य उम्मीद्वार नहीं मिलने की स्थिति में ही वंशानुगत आधार पर दावा करने वाले उम्मीदवारों का उम्मीदवारी रद्द करने के पश्चात् ही SPT (Suppl.Prov.) Act 1949 की धारा 1949 की धारा 5 एवं SPT (Suppl.) Rules 1950 का नियम 3 एवं अनुसूची V के प्रावधानों का अक्षरसः पालन करते हुए आदेश प्राप्ति के दो माह के अन्दर प्रधान की नियुक्ति करना सुनिश्चित करें।

तद्नुसार अपील स्वीकृत।

आदेश से सभी सम्बद्ध पक्षों को अवगत करावें।

अन्य प्रशासनिक व्यस्तताओं के कारण पूर्व में आदेश पारित करना संभव नहीं हो सका। आज दिनांक–03.10.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के सील मुहर के साथ आदेश निर्गत किया गया।

लेखापित एवं संशोधित।

(ह०) 3/10/18 — उपायुक्त, पाकुड़।

(ह०) 3/10/18 — उपायुक्त, पाकुड़।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.01.11 17:11:39 +05:30
Location: 192.168.1.100

Scanned with CamScanner